कमलेश बनाम कैलाश
प्रकरण संख्या- 75/2023
GCMS NO.- 2023/353

# न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा

## जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियाँआर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः–75 / 2023
GCMS N. -2023/353

कमलेश कुमार गायरी पुत्र रामलालजी जाति गायरी आयु 25 वर्ष निवासी गादोला, तहसील, निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

................वादी

**बनाम**

1. कैलाश पिता रामलालजी जाति गायरी आयु वयस्क निवासी गादोला, तहसील, निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

..................प्रतिवादीगण

उपस्थितः– 1– श्री शम्भुलाल तेली – अधिवक्ता वादी
2– पैरोकार ससरकार स्वयं– प्रतिवादी

वाद

वाद अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

::निर्णय:: दिनांकः–10.07.2023

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादी नं० 1 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजियात वाके ग्राम गादोला पटवार हल्का गादोला तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० की जमाबंदी सम्वत् 2077–2080 के खाता नं0 83 की आराजी नं0 1024 रकबा 1.3000 हेक्टेयर लगानी 9 रुपये 10 पैसा स्थित हैं। वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी नं० 1 की संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजी हैं वादग्रस्त आराजी वादी के पिता रामलाल पिता नानालालजी निवासी गादोला द्वारा वादी व प्रतिवादी नं० 1 की नाबालिग अवस्था में वादी व प्रतिवादी नं० 1 के पक्ष में ... गायरी पुत्र रामलालजी (वादी का नाम), कैलाश पुत्र रामलालजी (प्रतिवादी नं० 1 का नाम) सरपरस्त पिता रामलाल पिता नानालाल गायरी के नाम से क्रय कर ... पत्र का निष्पादन दिनांक 26/05/1998 एवं पंजीयन दिनांक 26/05/... को कराया था, तथा ... रजिस्ट्री वादी को उसके घर के ... नाम भंवरलाल के नाम से रजिस्ट्री कराई ... और राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम भंवरलाल दर्ज ... कार्ड हो गया। तथा वादी ... जब स्कूल मे एडमिशन कराया गया तब वादी का नाम कमलेश अंकित कराया गया और वादी के समस्त पहचान के दस्तावेज आधारकार्ड, पेनकार्ड, राशनकार्ड जनआधारकार्ड, वोटर आईडी कार्ड, अंक तालिका इत्यादि में वादी का असल नाम कमलेश कुमार अंकित है। वादी अपने हक हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:08:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

आ रहा हैं। वादी ने प्रतिवादीगणों को वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम भंवरलाल के बजाए कमलेश कुमार घोषित करा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम दर्ज कराने की कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल कर रहे है और वादी का नाम भंवरलाल के बजाए कमलेश कुमार घोषित कराने से इंकार हो गये है इसलिए वादी वादग्रस्त आराजी में भंवरलाल के बजाए कमलेश कुमार घोषित करा कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित नाम को सही घोषित करवाने का निवेदन वादी द्वारा वाद के अन्त में किया गया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील वादी/प्रतिवादी की बहस सुनी गई। वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 स्वयं एवं 2 पेरोकार सरकार स्वयं उपस्थित। वादी की पहचान उनके अधिवक्ता श्री शम्भुलाल तेली ने की। अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वादीगण के संलग्न दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, शैक्षणिक अंकतालिका, में वादी का नाम कमलेश कुमार अंकित है। इसके साथ ही प्रकरण में तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट में बताया कि कमलेश कुमार को ही बचपन में लाड–प्यार के नाम भंवरलाल के नाम से बोलते थे।बाद में विद्यालय में प्रवेश के समय इसका नाम कमलेश कुमार दर्ज कराया और कमलेश कुमार रखा जो आज तक कमलेश कुमार होकर इसी नाम से जाना जाता है। भंवरलाल पिता रामलाल के नाम का रामलाल के अन्य कोई पुत्र नही है। भंवरलाल पिता रामलाल के बजाय कमलेश कुमार पिता रामलाल गायरी 1/2 दर्ज करना उचित है।

3. हमने वादी अधिवक्ता की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया । पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की जांच रिपोर्ट का गहनता से ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जिसमें अंकित किया गया हैं कि प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 अन्तर्गत शिविर ग्राम पंचायत गादोला के मजमेआम में दिनांक 06.06.2023 को भू–अभिलेख निरीक्षक वृत गादोला एवं पटवारी हल्का, गादोला ने संयुक्त पर्चा मौका बनाया जिसमें अंकित किया गया हैं कि मौजा गादोला की खातेदारी आराजी नम्बर 1024 रकबा 1.30 हैक्टेयर के खातेदार का नाम भंवरलाल पिता रामलाल 1/2 निवासी गादोला का आज वास्तविक नाम कमलेश कुमार पिता रामलाल होने के बारे में वाद तथ्यों को शिविर में उपस्थित ग्रामवासियों व मौतबिरान के समक्ष मजमेंआम शिविर में बताया जाकर जानकारी ली गई। उपस्थित ने बताया कि कमलेश कुमार को ही बचपन में लाड प्यार के नाम भंवरलाल के नाम से बोलते थे। बाद में विद्यालय में प्रवेश के समय इसका नाम कमलेश कुमार दर्ज कराया और कमलेश कुमार रखा जो आज तक कमलेश कुमार होकर इसी नाम से जाना जाता है। सभी दस्तावेजात भी कमलेश कुमार के नाम से है भंवरलाल पिता रामलाल के नाम का रामलाल के अन्य कोई पुत्र नहीं है। कमलेश कुमार अब बालिग हो चुका है। उपस्थित सभी ने ग्राम गादोला के आराजी नम्बर 1024 रकबा 1.30 हैक्टेयर भूमि में भंवरलाल पिता रामलाल के बजाय कमलेश कुमार पिता रामलाल 1/2 दर्ज करने को सही बताया। पर्चे मौके पर पटवारी हल्का गोदाला, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत गादोला, सह खातेदार कैलाश पिता रामलाल, सरपंच ग्राम पंचायत, गादोला व ग्रामवासियान के हस्ताक्षर किये गये है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत, गादोला ने दिनांक 06.07.2023 को एक प्रमाण–पत्र जारी किया है जिसमें अंकित किया गया कि प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री कमलेश पिता रामलाल गायरी ग्राम गादोला पंचायत समिति निम्बाहेड़ा के स्थायी निवासी है। इन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। उक्त प्रमाण पत्र पहचान स्वरूप मेरे द्वारा प्रमाणित किया जाता है। यह प्रमाण पत्र आज दिनांक 06.07.2023 को मेरे द्वारा जारी किया गया है। भूलवश इनके खाते (जमाबंदी) में "कमलेश" के स्थान पर "भंवरलाल" कर दिया गया है जो गलत है।" कमलेश कुमार एवं भंवरलाल एक ही व्यक्ति है। अतः सही नाम कमलेश कुमार गायरी करवाया जाये। यह प्रमाण पत्र रसाली सरपंच ग्राम पंचायत गादोला के हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया। प्रकरण में श्री रामलाल पिता नानालाल गायरी ने अपने पुत्र के नाबालिग अवस्था में भूमि क्रय कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:08:31 IST
Reason: SelfAttested

गई थी एवं रजिस्ट्री में अपने पुत्र के घर के बोलते नाम भंवरलाल पिता रामलाल से रजिस्ट्री करवाई थी एवं रजिस्ट्री के अनुसार ही वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में भंवरलाल पिता रामलाल दर्ज किया गया था। किन्तु प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेजात आधार कार्ड, कक्षा 8 की शैक्षणिक अंक तालिका, मतदाता पहचान पत्र, बैंक आईसीआईसीआई एवं बैंक ऑफ बडौदा की खाता पासबुक में प्रार्थी का नाम कमलेश पिता रामलाल गायरी दर्ज रिकार्ड है। साथ ही तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का दस्तावेजात अनुसार नाम कमलेश पिता रामलाल होना अंकित किया है। एव रिपोर्ट में बताया गया कि रामलाल पिता नानालाल के भंवरलाल पिता रामलाल का कोई अन्य पुत्र नही है एवं कमलेश को ही बालपन में प्यार से भंवरलाल बुलाते थे। साथ ही प्रार्थी श्री कमलेश पिता रामलाल गायरी निवासी गादोला ने 50 रूपये के स्टाम्प पर एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें अंकित किया गया कि वादी का वास्तविक नाम कमलेश कुमार गायरी पिता रामलाल है तथा यही नाम मेरे आधार कार्ड में दर्ज है मुझे घर पर भंवरलाल नाम से बचपन में पुकारते थे इसीलिए राजस्व रिकार्ड में भी मेरा नाम भंवरलाल दर्ज करवाया गया। इस प्रकार भंवरलाल एवं कमलेश कुमार गायरी मैं एक ही व्यक्ति हू, इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। यदि इस संबंध में कोई त्रुटि पाई जाती हैं तो मैं जवाबदार रहूंगा। अब भविष्य में नाम के संबंध में कोई विरोधाभास नहीं हो इसलिये मैं मेरा सही नाम कमलेश कुमार गायरी दर्ज कराना चाहता हूँ। अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, पटवारी हल्का, गादोला एवं भू-अभिलेख निरीक्षक वृत गादोला के संयुक्त पर्चे मौके, सरपंच ग्राम पंचायत गादोला द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी के स्वयं के शपथ पत्र के बाद अवलोकन पाया गया कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का नाम भंवरलाल पिता रामलाल गायरी के बजाय कमलेश कुमार पिता रामलाल गायरी घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**<u>घोषणा है कि</u>**

*वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम गादोला पटवार हल्का गादोला की जमाबंदी सम्वत् 2077-2080 के खाता नं0 83 की आराजी नं0 1024 रकबा 1.3000 हेक्टेयर में वादी का नाम भंवरलाल पिता रामलाल गायरी 1/2 के बजाय कमलेश कुमार पिता रामलाल गायरी 1/2 दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।*

निर्णय आज दिनांक 10.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया

(रमेश सीरवी पुनाडियाआर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:08:31 IST
Reason: SelfAttested

कमलेश बनाम कैलाश
प्रकरण संख्या- 75/2023
GCMS NO.- 2023/353

# मूल वाद में अन्तिम डिक्री

# न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा

## जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियाँआर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः–75 / 2023
GCMS N. -2023/353

कमलेश कुमार गायरी पुत्र रामलालजी जाति गायरी आयु 25 वर्ष निवासी गादोला, तहसील, निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

.................वादी

**बनाम**

1. कैलाश पिता रामलालजी जाति गायरी आयु वयस्क निवासी गादोला, तहसील, निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

..................प्रतिवादीगण

**वाद**

**वाद अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955**

प्रकरण आज दिनांक को वादी के अधिवक्ता श्री शम्भुलाल तेली एवं प्रतिवादी नम्बर 2 की ओर से पैरोकार सरकार की उपस्थिति में अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम गादोला पटवार हल्का गादोला की जमाबंदी सम्वत् 2077–2080 के खाता नं0 83 की आराजी नं0 1024 रकबा 1.3000 हेक्टेयर में वादी का नाम भंवरलाल पिता रामलाल गायरी 1/2 के बजाय कमलेश कुमार पिता रामलाल गायरी 1/2 दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें।

यह आज दिनांक 10.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

(रमेश सीरवी पुनाडियाँआर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:08:31 IST
Reason: SelfAttested